लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

सन्दर्भ: हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय का संदर्भ देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने चल रहे मुकदमों पर रोक लगाने की मांग की।

- इस फैसले में, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों के संबंध में मुकदमा चलाने से पहले संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।
- यह निर्णय एक ऐसे मामले से उत्पन्न हुआ था, जिसमें लोक सेवकों पर धन शोधन का आरोप लगाया गया था और प्रवर्तन निदेशालय ने बिना सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए ही उन पर मुकदमा चलाने का प्रयास किया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अभियोजन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) के तहत आवश्यक पूर्व अनुमोदन के बिना आगे नहीं बढ़ सकते।

पूर्व स्वीकृति प्रावधान क्या है?

- **सीआरपीसी की धारा 197(1):** इस प्रावधान के तहत सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए अपराधों के लिए किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य कदाचार के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लोक सेवकों को मनमानी कानूनी कार्रवाई से बचाना है।
- **अपवाद:** यौन अपराध, मानव तस्करी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे गंभीर अपराधों के लिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मुख्य बिंदु

- **लोक सेवकों के लिए मंजूरी की आवश्यकता:** न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता न केवल सीआरपीसी के तहत आपराधिक अपराधों पर लागू होती है, बल्कि पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत मामलों पर भी लागू होती है। यह भविष्य में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामलों के लिए एक कानूनी मिसाल कायम करता है।
- **आधिकारिक कर्तव्य और कथित अपराध के बीच संबंध:** न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जब कथित अपराध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़े हों, तो पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

फैसले के निहितार्थ:

- **चल रहे मुकदमों पर प्रभाव:** इस फैसले का उल्लेख उन चल रहे कानूनी मामलों में किया गया है, जहां सरकारी कर्मचारी पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत आरोपित हैं। पूर्व मंजूरी न मिलने के कारण इन मुकदमों पर रोक लगाने या आरोपों को खारिज करने में कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
- **व्यापक प्रभाव:** इस फैसले का सीआरपीसी (दंड प्रक्रिया संहिता) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) दोनों के तहत आने वाले मामलों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति लेना भी अनिवार्य है।

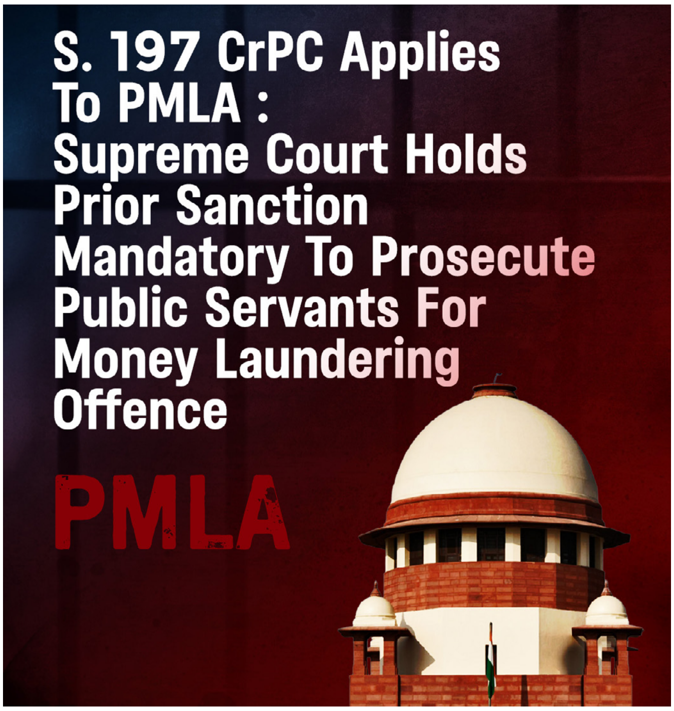

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) और पूर्व मंजूरी

- **पीसीए की धारा 19:** सीआरपीसी की धारा 197 के समान, इस धारा के तहत रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
- **पीसीए की धारा 17ए:** 2018 में संशोधनों के बाद, यह धारा सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच करने से पहले पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को अधिक मजबूत करती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन

सन्दर्भ: हाल ही में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों का 59वां अखिल भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। यह वार्षिक आयोजन पुलिस के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में कार्य करता है।

चर्चा किए गए प्रमुख विषय

- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे:** सम्मेलन के दौरान आतंकवाद-निरोध, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन नियंत्रण, तटीय सुरक्षा और नार्को -तस्करी जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
- **उभरती सुरक्षा चिंताएं:** बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमाओं पर सुरक्षा मुद्दों, शहरी पुलिस व्यवस्था के रुझानों और दुर्भावनापूर्ण आख्यानों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।
- **नये आपराधिक कानून और पुलिस प्रथाएं:** सम्मेलन में नए बनाए गए प्रमुख आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन, विभिन्न पहलों और पुलिस व्यवस्था में सर्वोत्तम तौर-तरीकों के साथ-साथ पड़ोसी देशों में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई।
- **स्मार्ट पुलिसिंग विजन:** स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा का विस्तार किया गया जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - Strategic (सामरिक)
  - Meticulous (सूक्ष्म)
  - Adaptable (अनुकूलनीय)
  - Reliable (भरोसेमंद)
  - Transparent (पारदर्शी)
- इस सम्मेलन में पुलिस बलों के लिए न केवल परिचालन क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, बल्कि उनके दृष्टिकोण में अधिक रणनीतिक, अनुकूलनीय और पारदर्शी बनने की भी आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- सम्मेलन में कानून प्रवर्तन को आधुनिक चुनौतियों, विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उदय के साथ अनुकूलन के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत में पुलिस सुधार की स्थिति:

- भारत में पुलिस सुधार की स्थिति दशकों के प्रयासों के बावजूद अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई है। जिससे पुलिस के कार्यों में पुरानी और अप्रचलित विधियों की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारत में पुलिस बलों से जनता की अपेक्षाएँ काफी बढ़ गई हैं। विशेषकर, अपराध के नए रूप जैसे साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और आतंकवाद ने पुलिस व्यवस्था को चुनौती दी है।
- समाज की तेजी से बदलती जरूरतों और अपराधों के प्रकारों के साथ पुलिस को अधिक तकनीकी, प्रभावी और जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है।

पुलिस सुधारों को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **संवैधानिक सीमाएं:** पुलिस राज्य का विषय है, अर्थात सुधारों को लागू करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
- **जवाबदेही और परिचालन स्वतंत्रता:** राजनीतिक जवाबदेही और पुलिस की परिचालन स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन है।
- **कार्यबल की कमी:** पुलिस बल में बड़ी संख्या में रिक्तियां होने के कारण कार्यबल पर अत्यधिक बोझ बढ़ गया है।
- **प्रशिक्षण एवं अवसंरचना संबंधी मुद्दे:** पुलिस प्रशिक्षण, योग्यता, पदोन्नति और अपर्याप्त फोरेंसिक क्षमता से संबंधित समस्याएँ बनी हुई हैं।
- **पुलिस-जनता संबंध:** अपराध और अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस और जनता के बीच सकारात्मक संबंध महत्वपूर्ण है,जिसमे कमी देखी जाती हैं।

पुलिस सुधार पर समितियाँ और आयोग:

- **राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1978-82):** दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का सुझाव दिया।
- **पद्मनाभैया समिति (2000):** अपराध रोकथाम में भर्ती, प्रशिक्षण और सार्वजनिक भागीदारी में संरचनात्मक परिवर्तन की सिफारिश की।
- **मलिमथ समिति (2002-03):** प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नया पुलिस अधिनियम बनाने और अपराध जांच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **रिबेरो समिति (1998):** पुलिस सुधार सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश (2006):** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाध्यकारी सुधारों को लागू करने का निर्देश दिया गया, जैसे राज्य सुरक्षा आयोग का गठन और पुलिस स्थापना बोर्ड की स्थापना।

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25

सन्दर्भ: हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की है, जिसमें विश्व स्तर पर वेतन प्रवृत्तियों, वेतन असमानता तथा वास्तविक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट 2008 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है और विभिन्न देशों में वेतन वितरण और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **वेतन असमानता में कमी:**
  - » वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर लगभग दो-तिहाई देशों में मजदूरी असमानता औसतन 11.1% प्रति वर्ष की दर से कम हुई है।
  - » यह प्रवृत्ति विभिन्न देशों में वेतन असमानताओं को कम करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।
- **वैश्विक वेतन वृद्धि:**
  - » हाल के वर्षों में वैश्विक मजदूरी मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।
  - » 2024 में वास्तविक वैश्विक मजदूरी में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जोकि पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है।
  - » वैश्विक वास्तविक मजदूरी में पिछले वर्ष 1.8% की वृद्धि हुई।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - » अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में वास्तविक मजदूरी वृद्धि स्थिर या नकारात्मक रही है।
  - » इसके विपरीत, एशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वेतन वृद्धि अधिक रही है, जोकि इन क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को दर्शाती है।
- **निरन्तर वेतन असमानता:**
  - » वेतन असमानता में वैश्विक कमी के बावजूद, महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं। कम आय वाले देश उच्च आय वाले देशों की तुलना में काफी अधिक वेतन असमानता से पीड़ित हैं, लगभग 22% श्रमिक औसत प्रति घंटा वेतन के आधे से भी कम कमाते हैं।
- **उत्पादकता और मजदूरी का पृथक्करण:**
  - » उच्च आय वाले देशों में, 1999 से 2024 तक उत्पादकता में 29% की वृद्धि हुई, फिर भी वास्तविक मजदूरी में केवल 15% की वृद्धि हुई, जोकि उत्पादकता लाभ के असमान वितरण को उजागर करता है।
- **लिंग वेतन अंतर:**
  - » महिलाओं को, विशेष रूप से निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, अनौपचारिक, अनिश्चित और कम वेतन वाले कार्यों में उनकी अधिक उपस्थिति के कारण, असमान वेतन असमानता का सामना करना पड़ रहा है।

भारतीय परिदृश्य:

- 2008 और 2018 के बीच , भारत में कम वेतन वाले श्रमिकों (औसत प्रति घंटा वेतन का 50% से कम कमाने वाले) की हिस्सेदारी में सालाना 6.3% की कमी आई।
- इसी अवधि में कम वेतन वाले गैर-मजदूरी श्रमिकों की संख्या में वार्षिक 12.7% की गिरावट देखी गई। भारत में दोनों श्रेणियों के श्रमिकों की गिरावट की संयुक्त दर प्रति वर्ष 11.1% थी।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 9.5% वेतनभोगी कर्मचारी औसत वेतन के 50% से भी कम कमाते हैं, जोकि इसके पड़ोसी देशों- पाकिस्तान (9.4%), नेपाल (10.5%), बांग्लादेश (11.2%), भूटान (13.7%) और श्रीलंका (25.9%) की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

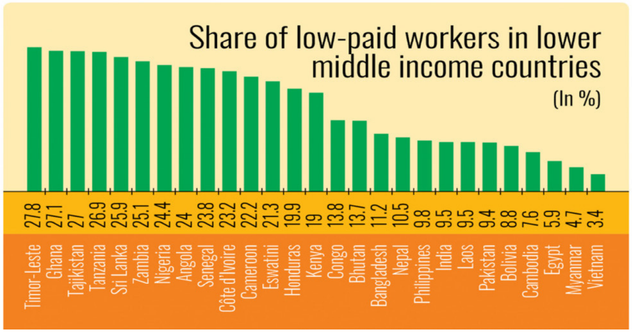

अनुशंसाएँ:

- **न्यूनतम वेतन समायोजन:** न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि विशेष रूप से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे आर्थिक असमानता से सुरक्षित रहें।
- **श्रमिक सुरक्षा:** अनिश्चित और असुरक्षित कार्य से निपटने के लिए नियमों और नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है।
- **लिंग वेतन अंतर:** समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करके लिंग वेतन अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

आईएलओ के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गयी।
- वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं और यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- आईएलओ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जोकि सरकारों , नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

आईएलओ की प्रमुख रिपोर्टें:

- विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO)
- वैश्विक वेतन रिपोर्ट
- विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
- युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण
- कार्य की विश्व रिपोर्ट (World of Work Report)

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

पॉवर पैक्ड न्यूज़

सिनबैक्स

- हाल ही में भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे में शुरू हुआ।
- सिनबैक्स का मुख्य उद्देश्य खुफिया, निगरानी और टोही के लिए एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यबल की स्थापना करना और आतंकवाद विरोधी (सीटी) ऑपरेशन की योजना बनाना है।
- 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में प्रत्येक पक्ष के 20 कर्मी शामिल होंगे और इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी (सीटी) ऑपरेशन की योजना बनाना है।
- प्रमुख पहलुओं में हाइब्रिड युद्ध, साइबर युद्ध, रसद, हताहत प्रबंधन और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) पर चर्चा शामिल है।
- इस अभ्यास के तीन चरण होते हैं: पहले चरण में प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण (Orientation) किया जाता है, फिर चर्चा होती है और अंत में योजनाओं को अंतिम रूप देकर परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया जाता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ संरेखित करते हुए भारतीय मूल के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन करके स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सिनबैक्स का उद्देश्य भारतीय और कंबोडियाई सेनाओं के बीच विश्वास, सौहार्द और परिचालन अंतर-संचालन को बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए उनकी संयुक्त क्षमताओं को मजबूत करना है।

गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ

- हाल ही में पारंपरिक शादी की साड़ी, घरचोला, को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्रदान किया गया है। 'जीआई और उससे आगे-विरासत से विकास' कार्यक्रम के दौरान घरचोला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया।
- घरचोला एक हाथ से बुनी हुई साड़ी है, जोकि आमतौर पर शादियों के दौरान पहनी जाती है और यह अपनी जटिल डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है।
- गुजरात में पारंपरिक उत्पादों की मान्यता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हाल के वर्षों में 27 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से 23 हस्तशिल्प क्षेत्र के हैं।
- जीआई मान्यता न केवल घरचोला की प्रामाणिकता और विशिष्टता की पुष्टि करती है, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है।
- इससे पारंपरिक शिल्प की वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिलेगा, इसके प्रचार-प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध होगा और इसके निरंतर संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह जीआई टैग गुजरात की कलात्मक विरासत की शिल्पकला और पहचान को बनाए रखने में एक मूल्यवान उपकरण के रूप में कार्य करेगा।

वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज: पंबन 2.0

- भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, पंबन 2.0, जल्द ही खुलने वाला है। यह नया पुल रामेश्वरम में 110 साल पुराने कैंटिलीवर ब्रिज की जगह लेगा।
- जर्मनी और स्पेन के रेल पुलों से प्रेरणा लेते हुए, पंबन 2.0 पुल को ऊपर की ओर खींचकर उठाया जा सकता है, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के इंजीनियरों ने इस डिजाइन के लिए वैलेंसिया, बार्सिलोना और हैम्बर्ग जैसे शहरों का दौरा कर पुलों का अध्ययन किया।
- नए पुल में 100 स्पैन हैं, जिनमें जहाजों के गुजरने के लिए 72.5 मीटर लंबा स्पैन भी शामिल है। इसे 280 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इस पुल पर ट्रेनें 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। यह नया पुल ट्रेन यात्रा को आसान बनाएगा और जहाजों के आवागमन को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्र में परिवहन में सुधार होगा।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ श्रेणी' में वर्गीकृत किया

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड पेयजल को 'उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ श्रेणी' में वर्गीकृत किया है। इसका अर्थ यह है कि अब पानी को सख्त सुरक्षा मानकों के अधीन किया जाएगा।
- उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देते हैं क्योंकि उन्हें खाने से पहले किसी अन्य प्रक्रिया (यानी, खाना पकाना, जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा) से नहीं गुजरना पड़ता है।

- इन खाद्य पदार्थों में डेयरी उत्पाद, मांस उत्पाद (जैसे पोल्ट्री), मछली और मछली उत्पाद शामिल हैं। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को अब इस श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे सावधानीपूर्वक संभालने और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- इस वर्गीकरण के अंतर्गत, पैकेज्ड पेयजल सहित उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के सभी निर्माताओं या प्रसंस्करणकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष थैए द्वारा मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का लेखा परीक्षण कराना अनिवार्य होगा।
- उन्हें अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षणों का भी सामना करना पड़ेगा। इन कदमों का उद्देश्य पैकेज्ड पेयजल की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, जिससे उपभोक्ताओं को संभावित स्वास्थ्य जोखिमों से बचाया जा सके।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com